VIII भुगतान और निपटान प्रणाली और सूचना प्रौद्योगिकी

VIII.1 प्रौद्योगिकी और संप्रेषण संबंधी बुनियादी सुविधाओं में तेज और लगातार हो रहे नवोन्मेष और भुगतान के विभिन्न प्रकारों से उसके समन्वयन से भुगतान और निपटान प्रणालियों में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। भुगतान और निपटान प्रणाली में अधिक कार्यकुशलता लाने की ओर बढ़ते समय इन नवोन्मेषों ने वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रणालियों में समन्वय आवश्यक बना दिया है। अतः रिज़र्व बैंक ने 2006-07 के दौरान जोखिम कम करने के लिए कदम उठाते हुए देश में कार्यकुशल और समन्वित भुगतान और निपटान प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। इसके अलावा, हाल के वर्षों में रिज़र्व बैंक और वाणिज्य बैंकिंग क्षेत्र दोनों में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के प्रयोग में विभिन्न बैंकिंग कार्यों में तेज विस्तार हुआ है। आईटी विकास से लेनदेन की भारी मात्रा की प्रक्रिया भी कार्यकुशल और विश्वसनीय तरीके से हो जाती है।

VIII.2 भुगतान और निपटान प्रणाली संबंधी विभिन्न पहलों का मुख्य बल भुगतान प्रणाली के इलेक्ट्रॉनिकीकरण और उपयुक्त कानूनी और प्रौद्योगिकीय बुनियादी सुविधाओं के निर्माण पर था। आरटीजीएस प्रणाली का टर्नओवर तेजी से बढ़ा है जिसका कारण भारी मूल्य के समयबद्ध महत्वपूर्ण भुगतानों का इस प्रणाली में आना तथा आरटीजीएस नेटवर्क का अधिक बैंक शाखाओं को कवर करना था। पेपर आधारित समाशोधन प्रणाली की कार्यकुशलता बढ़ाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने चेक ट्रंकेशन प्रणाली भी बनाई है। भुगतान और निपटान प्रणाली विधेयक संसद में रखा गया है। वह अधिनियमित हो जाने पर रिज़र्व बैंक को भुगतान और निपटान प्रणालियों की निगरानी का औपचारिक अधिकार प्राप्त हो जाएगा। 2006-07 के दौरान रिज़र्व बैंक में हुई आईटी संबंधी गतिविधियों के संबंध में उद्यम समावेशक दृष्टिकोण अपनाना जारी रहा। आईटी प्रणाली के कार्यक्षम उपयोग और कारोबारी निरंतरता प्रदान करने की दृष्टि से अत्याधुनिक डाटा केंद्र गठित किए जा रहे हैं। बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान वर्ष के दौरान इन्फिनेट और राष्ट्रीय वित्तीय स्विच के प्रबंधन के अलावा बैंकिंग क्षेत्र के लिए प्रमाणीकरण प्राधिकारी संबंधी अपने कार्य करता रहा हैं।

भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड

VIII.3 भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की समिति के रूप में मार्च 2005 में किया गया था जिसे देश में भुगतान और निपटान प्रणाली के सहज विकास और कार्यप्रणाली का दायित्व सौंपा गया है। बोर्ड के विशिष्ट निर्देशों में निम्न बातें शामिल हैं : (i)कागज आधारित निधि अंतरण से इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणाली में जाने के लिए रोडमैप तैयार करना; (ii) तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) युक्त सभी शाखाओं को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण के तहत लाना; (iii)पड़ोसी देशों (विशेष रूप से नेपाल) के साथ कम लागत की सीमापारीय प्रेषण प्रणाली की स्थापना की व्यवहार्यता का पता लगाना; (iv) चेक ट्रंकेशन प्रणाली में सहभागी होने के लिए छोटे बैंकों को सहायक सदस्यता देने वाले कुछ बड़े बैंकों की व्यवहार्यता का अध्ययन; (v) आरटीजीएस प्रणाली का मूल्यांकन करने का प्रस्ताव; (vi) चुनिंदा देशों में भुगतान प्रणाली का अध्ययन करना ताकि भारत के लिए उपयोगी जानकारी प्राप्त हो; और (vii) इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के अधिक उपयोग के लिए कार्यनीतियों में से एक के रूप में क्रेडिट/डेबिट/ प्रिपेड कार्डों को प्रोत्साहन देना।

भुगतान और निपटान प्रणाली में गतिविधियां

VIII.4 मूल्य के संदर्भ में विभिन्न भुगतान और निपटान प्रणालियों में वार्षिक कारोबार 2006-07 में 37.5 प्रतिशत बढ़ा (2005-06 में 44.2 प्रतिशत)। जीडीपी के अनुपात के रूप में मात्रा के संदर्भ में वार्षिक कारोबार 2003-04 के 6.0 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 10.3 प्रतिशत हो गया। टर्नओवर में वृद्धि का कारण मुख्यतः वित्तीय बाजार की गतिविधियां बढ़ना कहा जा सकता है जिससे वित्तीय बाजार के विभिन्न घटकों को व्यापक और गहन बनाने के लिए किए गए विभिन्न उपाय प्रदर्शित होते हैं। 2006-07 में कारोबार में हुई वृद्धि में प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली आगे थी; अब प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली घटक में हुआ कारोबार कुल कारोबार के 80 प्रतिशत से भी अधिक है। प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली के विभिन्न घटकों में मूल्य के संदर्भ में आरटीजीएस का भाग सर्वाधिक (50 प्रतिशत से अधिक) था जिसके बाद विदेशी मुद्रा समाशोधन और उच्च मूल्य वाले समाशोधन का स्थान था। आरटीजीएस प्रणाली का टर्नओवर मात्रा और मूल्य दोनों दृष्टि से तेजी से बढ़ता रहा (2005-06 की 183 प्रतिशत की सर्वोच्च वृद्धि की तुलना में 2006-07 में परवर्ती में 60 प्रतिशत वृद्धि)। आरटीजीएस में वृद्धि का कारण मुख्यतः बड़े मूल्य के टाइम क्रिटिकल भुगतानों का इस प्रणाली में आना और आरटीजीएस नेटवर्क में अधिक बैंक शाखाओं का कवर होना कहा जा सकता है।

VIII.5 समन्वित लेखांकन प्रणाली के साथ आरटीजीएस के समन्वयन से रिज़र्व बैंक में रखे चालू खातों से आरटीजीएस निपटान खातों में और उससे विपरीत ऑन लाइन निधि अंतरण सुविधा के प्रावधान की व्यवस्था हुई है। इस समन्वय से आरटीजीएस मुंबई में बहुविध निवल निपटान बॅच मोड के माध्यम से सीसीआइएल-परिचालित समाशोधन (अंतर बैंक सरकारी प्रतिभूतियां, अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय, सीबीएलओ और राष्ट्रीय वित्तीय स्विच) के निपटान भी सुगम हो गए हैं। आरटीजीएस - समन्वित लेखा प्रणाली का प्रतिभूति निपटान प्रणाली के साथ समन्वय होने से सहभागियों की पात्रता के अनुसार स्वचलित आंतरदिवसीय चलनिधि उपलब्ध हुई है।

सूचना प्रौद्योगिकी

VIII.6 रिज़र्व बैंक के दैनिक कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है जिसका लक्ष्य कार्यक्षमता के लाभ प्राप्त करना है। रिज़र्व बैंक में सूचना प्रौद्योगिकी का गहन प्रयोग उन अत्याधुनिक डाटा केंद्रों की स्थापना से दिख जाता है। रिज़र्व बैंक तीन डाटा केंद्र स्थापित कर रहा है जो प्रणाली का समेकन और केंद्रीकृत डाटा प्रक्रिया को समर्थ बनाने के अलावा किसी आकस्मिकता के समय कारोबार की निरंतरता और समस्या को कम करने में भी सहायता करेंगे। डाटा केंद्रों की स्थापना से प्रणाली का वर्तमान में फैले हुए सेटअप से डाटा केंद्र में केंद्रीकृत सुदृढ़ता की स्थिति में अंतरण हो जाएगा। केंद्रीय लेखा अनुभाग (सीएएस) प्रणाली और प्रलेख प्रबंधन सूचना प्रणाली (डीएमआइएस) नए सेटअप में अंतरित हो रही है जबकि केंद्रीकृत सार्वजनिक लेखा विभाग प्रणाली के अंतरण का कार्य जारी है, अन्य प्रणालियां अंतरण के विभिन्न चरणों में हैं।

रिज़र्व बैंक में प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन

VIII.7 रिज़र्व बैंक के आंतरिक उपयोगकर्ताओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाकारी सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बाद तीन पहलूयुक्त दृष्टिकोण सामने आया है। इसमें निम्म बातें शामिल हैं: (क) डाटा केंद्रों में सुगम अंतरण सुनिश्चित करने के लिए विकेंद्रीकृत पहुंच के साथ केंद्रीकरण दृष्टिकोण का अनुपालन, (ख) बैंक के प्रत्येक कार्यालय में डेस्कटॉप पर विश्लेषणात्मक और निर्णय सहायता की सुविधाएं और ऑनलाइन लेनदेन प्रक्रिया के लिए

क्षमता प्रदान करने के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना और (ग) सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रक्रिया के वातावरण में सुरक्षा का उच्च स्तर लागू करना।

VIII.8 रिज़र्व बैंक के मुख्य कार्यों के क्षेत्र के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियों की वर्तमान स्थिति निम्नवत् है :

- मुंबई में जमा लेखा विभाग तत्कालीन बेसिस (BASIS) प्रणाली के स्थान पर नई समन्वित लेखांकन प्रणाली (आइएएस) के प्रयोग के लिए उसमें अंतरित हो गया है।
- नई केंद्रीकृत लोक लेखा विभाग प्रणाली चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, नई दिल्ली और हैदराबाद में कार्यरत की गई है।
- तीन वर्षों से कार्यरत केंद्रीकृत लोक ऋण कार्यालय का उन्नयन किया गया है ताकि ऋण प्रबंधन नीतियों की परिवर्तनशील आवश्यकताएं पूरी हो सके।
- समन्वित कंप्यूटरीकृत मुद्रा परिचालन और प्रबंधन प्रणाली 2006-07 में शुरू की गई जिसमें देश की मुद्रा तिजोरियों के 90 प्रतिशत से अधिक और लिंक कार्यालयों में से 92 प्रतिशत से अधिक मुद्रा नोटों की गतिविधि की रिपोर्टिंग इस प्रणाली के माध्यम से करते हैं।

VIII.9 सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों के बेहतर प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए इन प्रणालियों को मजबूत बनाने की आवश्यकता से डाटा केंद्रों की आवश्यकता निर्माण होती है। डाटा केंद्र कारोबार की निंरतरता का भी ध्यान रखते हैं जिनमें रिकवरी समय के उद्देश्य सामान्य मानकों से आगे, निकल जाते हैं और रिकवरी प्रक्रिया के उद्देश्य में शून्य डाटा हानि के स्तर आवश्यक होते हैं। इस दृष्टि से प्रणालियों की उच्च उपलब्धता डाटा केंद्रों को उपलब्ध कराई जा रही है जो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकीय मंच उपलब्ध कराने के अलावा अपटाइम इंस्टीट्यूट के टियर IV मानकों के अनुरूप भी होगा।

संभावनाएं

VIII.10 रिज़र्व बैंक भुगतान और निपटान प्रणालियों में एक सुरक्षित तरीके से अधिक कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के अपने लक्ष्य पर कार्यरत रहेगा। आगामी वर्षों में भुगतान और निपटान के इलेक्ट्रॉनिक साधनों को प्रोत्साहित करते हुए विद्यमान भुगतान प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कुछ पड़ोसी देशों के बीच प्रेषण सुविधा के लिए बुनियादी सुविधाएं निर्मित करने के प्रयास जारी रहेंगे। ग्राहक सेवा को समयबद्ध, सस्ती और विश्वसनीय बनाने की दृष्टि से भुगतान और निपटान प्रणालियों की वार्षिक समीक्षा का प्रस्ताव है जो 31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष से शुरू होगा। समीक्षा का आधार ग्राहक सेवा की समयबद्धता, परिचालन लागत, सेवा प्रभार और वित्तीय प्रणाली पर समग्र प्रभाव के मानदंड होंगे।

VIII.11 रिज़र्व बैंक आईटी के व्यापक और समग्र उपयोग से संगठन के भीतर अधिक परिचालनात्मक कार्यक्षमता लाने के अपने प्रयास अधिक गहन करेगा। इस संदर्भ में, डाटा केंद्रों की स्थापना से कार्यमूलक इकाइयां अपने कारोबार से संबंधित कार्यों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित उन पहलुओं पर भी अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएंगी जो डाटा केंद्रों द्वारा केंद्रीय रूप से प्रबंधित किए जा रहे हैं। वित्तीय क्षेत्र के प्रौद्योगिकी विजन दस्तावेज की समीक्षा वित्तीय प्रणाली की गतिविधियों के आधार पर की जाएगी।